न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : अरुण पुरोहित आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 17/2020

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
मूलाराम पुत्र रूपाराम जाति जाट निवसी पुनियो की बासनी, तहसील बावडी जिला जोधपुर		राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बावडी जिला जोधपुर

राजस्व द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी बावडी द्वारा दिनांक 14–5–2019 जो ग्राम पुनियो की बासनी के खसरा नंबर 3115 एवं 3115/2 के संदर्भ मे धारा 131 एल.आर.एक्ट के तहत आदेश कमांक/राज/609 दिनांक 14–5–2019 को जारी किया गया ।

उपस्थितिः–

1–श्री कानाराम गोदारा अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2–राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 19–04–2021

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट के खातेदारी का खेत खसरा नंबर 3115 रकबा 4 बीघा 02 बिस्वा भूमि राजस्व ग्राम पुनियो की बासनी पटवार क्षेत्र बावडी जिला जोधपुर राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे अपीलांट के नाम खातेदारी दर्ज थी तथा खसरा नंबर 3115/1 रकबा 4 बीघा भूमि गै.मु. आबादी ग्राम पंचायत के नाम दर्ज थी परंतु आबादी स्थल को नक्शे मे परिवर्तन करने के लिए कुछ शरारती तत्वो ने पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक से मिलावट कर अपीलांट की भूमि को बिना किसी कारण के ही खसरा नंबर 3115/2 मे अंकन कर विभाजन दर्शाते हुए प्रस्ताव अन्तर्गत धारा 131, 136 एल.आर.एक्ट के तहत तहसीलदार बावडी की अनुशंषा के साथ अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बावडी के समक्ष प्रस्तुत किया, जिस प्रस्ताव पर ही अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बावडी ने आदेश कमांक/राज/609 दिनांक 14–5–2019 के द्वारा खसरा दुरस्ती स्वीकार करते हुए रिकार्ड मे अंकन करने का आदेश पारित कर दिया ! उपखण्ड अधिकारी बावडी द्वारा पारित उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

वकील अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई । वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी हल्का, निरीक्षक भू अभिलेख तथा तहसीलदार बावडी ने धारा 131 भू राजस्व अधिनियम की मंशा के खिलाफ अपीलांट को सूचित किये बिना उसकी अनुपस्थिति मे उसके खातेदारी के खसरा नंबर 3115 के बटटा नंबर 3115/2 के प्रस्ताव जो बिना किसी कारण के तैयार कर प्रस्तुत किया था, उसको स्वीकार कर रेकर्ड मे अंकन करने बाबत पारित अपीलाधीन आदेश विधि एवं न्यायसंगत नही होने से निरस्त योग्य है ।

प्रति- रजिस्ट्रार आयुक्त
जोधपुर

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बावडी के समक्ष ऐसी कोई सामग्री रेकर्ड पर नही थी जिसके कारण किश्तवार ने तरमीम किया जाना अपेक्षित था । वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार बावडी द्वारा प्रस्तुत नक्शा दुरस्ती के प्रस्ताव के साथ कोई मौकां फर्द जो मौतबिरान के रूबरू बनाई गई हो या ग्राम पंचायत का या अन्य किसी का कोई प्रार्थना पत्र आदि तहसीलदार बावडी के प्रस्ताव के साथ नही होने पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना रेकर्डेड खातेदार को सुने तथा मौके की वस्तुस्थिति रिपोर्ट तबल किये सीधे ही तहसीलदार के एक पेपर के प्रस्ताव पर ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जो विधिक प्रकिया के तहत नही होने से निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बावडी द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश कमांक राजस्व/609 दिनांक 14–5–2019 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार बावडी द्वारा जमाबंदी सेग्रीगेशन कार्य करने एवं नक्शे मे दर्ज खसरा नंबरो का वन टू वन मिलान के मध्यनजर जिन खसरा मे रिकार्ड, मौका एवं नक्शे मे भिन्नता आ रही है तथा एक खातेदार के खसरा नंबर से एक से अधिक जगह कब्जा है जबकि जमाबंदी मे एक ही बट्टा नंबर डाला हुआ है। विभाजन मे प्राप्त एवं जमाबंदी मे दर्ज खसरा नंबर से भिन्न नंबर पर कब्जा है, उन खातो एवं खसरा नंबरो को क्लियर करने हेतु नक्शा दुरस्ती प्रस्ताव पेश कर ग्राम पूनियो की बासनी पटवार हल्का बावडी के संबंध मे फर्द मौका मय रिकार्ड की सत्य प्रतिलिपियां प्रेषित करने पर अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बावडी की पत्रावली कुल 1 पृष्ट जिसमे पटवारी, आई.एल.आर द्वारा तैयार प्रस्ताव जिस पर तहसीलदार बावडी की अनुशंषा के साथ अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बावडी ने उसी प्रस्ताव पर पृथक से इस प्रकार नोट लगाते हुए आदेश कमांक राजस्व/609 दिनांक 14–5–19 पारित किया कि "रिपोर्ट पटवारी जांच आई,एल.आर एवं उस पर तहसीलदार की अभिशंषा के अनुसार रिकार्ड/खसरा दुरस्ती स्वीकार की जाती है, रेकर्ड मे अंकन किया जायें ।"

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रकट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव के साथ प्रस्ताव मे उल्लेख अनुसार कोई मौका फर्द मय रिकार्ड की सत्यप्रति के प्रस्तुत नही हुई थी तो ऐसे मे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बावडी को आदेश पारित करने से पूर्व मौके की वस्तुस्थिति रिपोर्ट रेकर्ड पर तलब की जानी चाहिये थी तथा अपीलांट जो कि खसरा नंबर 3115 का खातेदार है उसके खातेदारी के खसरा नंबर के बट्टा नंबर डालने से पूर्व न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तो के तहत उसे सुना जाना नितांत आवश्यक था परंतु ऐसी कोई कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पन्न की जाना रेकर्ड से साबित है ।

ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बावडी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश कमांक राजस्व/609 दिनांक 14–5–19 विधि एवं न्यायसंगत नही होने से उसे बहाल रखा जाना न्यायोचित नही है ।

परिणामस्वरूप अपीलांट की उक्त अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बावडी द्वारा पारित आदेश कमांक राजस्व/609 दिनांक 14–5–19 निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वे मौके की वस्तुस्थिति की जांच बाबत मौका फर्द अपीलांट एवं अन्य मौतबिरान के रूबरू तैयार करवाकर रेकर्ड पर लेवे तथा पटवारी के प्रस्ताव पर किसी प्रकार का आदेश पारित करने से पूर्व विधिवत अपीलांट एवं अन्य हितबद्ध खातेदारो को सुनने के बाद पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 19–04–2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(अरूण पुरोहित)
अतिरिक्त सम्भागिय आयुक्त
जोधपुर